न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : अरूण कुमार पुरोहित, आई0ए0एस0

रसद अपील सं. 48 / 2023

अपीलार्थी–	***बनाम***	उत्तरदाता–
हरखाराम पुत्र अणदाराम जाति कुमावत निवासी बोथिया जागीर ग्राम पंचायत कपूरड़ी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर		राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 22(ए) राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 विरूद्ध निर्णय क्रमांक 2583 दिनांक 26.09.2023 द्वारा जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री सुनील के मेराजा, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विभागीय पैरोकार, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 24.01.2024

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 की धारा 22(ए) के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक 2583 दिनांक 26.09.2023 के विरूद्ध पेश की गई है।
2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी हरखाराम बोथिया जागीर में उचित मूल्य की दुकान संचालन करने हेतु वर्ष 2018 से लगातार प्राधिकृत दुकानदार है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स का वितरण अन्य राशन सामग्री सहित करता है। अपीलार्थी द्वारा माह अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत आपूर्ति करने हेतु भेजे गये 109.88 क्विंटल खाद्यान्न खाली करने से मना करने

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

की अनियमितता पाई गई है। इस पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनयमन) आदेश 1976 के विभिन्न खण्डों एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 4, 7, 11, 14 एवं 18 का उल्लंघन मानते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर नोटिस व सुनवाई उपरांत प्राधिकार–पत्र निलम्बित किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.09.2023 पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई। अपील के संलग्न स्थगत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर कर उत्तरदाता को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने अपीलार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में उल्लेखित प्राधिकार–पत्र की शर्त संख्या 4, 7, 11, 14 एवं 18 का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। उसके द्वारा किसी व्यक्ति को कम राशन सामग्री का वितरण नहीं किया गया है व न ही राशन सामग्री के स्टॉक में कोई कमी उजागर हुई है। अपालार्थी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु उपयोग में लाए गए वाहन से वाहन में भरी राशन सामग्री का धर्मकांटा से तोल करवाने का निवेदन किया था जो नियमानुसार है। वाहन चालक सहित खाद्य सामग्री आपूर्ति ठेकेदार द्वारा वाहन का तौल नहीं करवाकर वास्तविक तोल से कम राशन सामग्री अपीलार्थी को स्वीकार किये जाने हेतु दबाव दिया गया एवं अपीलार्थी द्वारा उक्त बेजा दबाव को नहीं मानने पर वाहन चालक एवं खाद्य आपूर्ति ठेकेदार द्वारा उत्तरदाता जिला रसद अधिकारी को अपने पक्ष में लेकर उनके समक्ष गलत तथ्य प्रकट कर आपीलाधीन आदेश पारित करवाया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वाहन द्वारा 109.88 क्विंटल गेहूं होना अंकित था जबकि वाहन में केवल 216 गेहूं के

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर बाड़मेर

कट्टे थे जो 50 किलोग्राम प्रति कट्टे के हिसाब से नियत होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा वाहन की राशन सामग्री को बिना तोल खाली करवाया जाना उचित नहीं था। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा यह भी प्रकट किया गया कि अपीलार्थी पर वाहन चालक एवं खाद्य सामग्री आपूर्ति ठेकेदार द्वारा वाहन खाली करने के आशय का दबाव देने व बिना खाद्य सामग्री उतारे वाहन को ले जाने के संबंध में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 28.09.2023 को जिला कलक्टर बाड़मेर को लिखित में निवेदन भी किया गया था। इसके बावजूद उत्तरदाता द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एवं वास्तविक तथ्यों की जांच किये बिना अपीलार्थी का प्राधिकार–पत्र निरस्त करने का आदेश किया गया है जो कि नियम विरूद्ध है। इस प्रकार उत्तरदाता द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है जो निरस्त फरमाते हुए अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को पुनः बहाल करने का आदेश प्रदान करावें।

5. उत्तरदाता की ओर से विभागीय पैरोकार उपस्थित। जवाब में प्रकट किया कि राशन डीलर द्वारा निगम द्वारा आपूर्ति किये गये खाद्यान्न को अपनी दुकान पर खाली कराने से मना किया गया। इस पर आपूर्तिकर्ता द्वारा बिना खाली किये वापस लौट कर अवगत कराया कि डीलर द्वारा आपूर्ति लेने से इनकार किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा विभागीय कार्य का स्वेच्छा से इनकार किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा उसको जारी किये गये प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किये जाने से अपीलाधीन आदेश द्वारा प्राधिकार पत्र निलंबित करते हुए जांच कार्यवाही आरम्भ की गई। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील चलने योग्य नहीं है तथा विभागीय जांच कार्यवाही में अपना पक्ष प्रस्तुत कर समुचित चाराजोही कर सकता है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

6. हमने अपीलार्थी के अधिवक्ता एवं विभागीय पैरोकार द्वारा दिये गये तर्कों पर मनन किया एवं अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर बाड़मेर

अपीलार्थी हरखाराम, उचित मूल्य दुकानदार बोथिया जागीर वर्ष 2018 से लगातार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान संचालन हेंतु प्राधिकृत दुकानदार है। अपीलार्थी द्वारा माह अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत आपूर्ति करने हेतु भेजे गये 109.88 क्विंटल खाद्यान्न स्वेच्छा से खाली करने से मना करने की अनियमितता पाई गई है। अपीलार्थी द्वारा किसी व्यक्ति को कम राशन सामग्री का वितरण नहीं किया गया है व न ही राशन सामग्री के स्टॉक में कोई कमी उजागर हुई है। अपालार्थी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु उपयोग में लाए गए वाहन से वाहन में भरी राशन सामग्री का धर्मकांटा से तोल करवाने का निवेदन किया था जो नियमानुसार है। अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वाहन द्वारा 109.88 क्विंटल गेहूं होना अंकित था जबकि वाहन में केवल 216 गेहूं के कट्टे थे जो 50 किलोग्राम प्रति कट्टे के हिसाब से नियत होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा वाहन की राशन सामग्री को बिना तौल खाली करवाया जाना उचित नहीं था। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा यह भी प्रकट किया गया कि अपीलार्थी पर वाहन चालक एवं खाद्य सामग्री आपूर्ति ठेकेदार द्वारा वाहन खाली करने के आशय का दबाव देने व बिना खाद्य सामग्री उतारे वाहन को ले जाने के संबंध में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 28.09.2023 को जिला कलक्टर बाड़मेर को लिखित में निवेदन भी किया गया था। इस पर आपूर्तिकर्ता द्वारा बिना खाली किये वापस लौट कर अवगत कराया कि डीलर द्वारा आपूर्ति लेने से इनकार किया गया है। इस पर अपीलार्थी द्वारा उसको जारी किये गये प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किया जाना मानते हुए अपीलाधीन आदेश द्वारा प्राधिकार पत्र निलंबित करते हुए जांच कार्यवाही आरम्भ की गई। अधीनस्थ कार्यालय द्वारा उक्त आदेश बिना किसी सरसरी जांच अथवा अपीलार्थी को नोटिस जारी कर उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना ही जारी किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों के मद्देनजर प्रकरण मे अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नही कर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आदेश पारित करने मे शीघ्रता की गई है। ऐसे में अपीलाधीन कार्यवाही एवं निलम्बन आदेश एकपक्षीय होने से बहाल रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा रसद प्रकरण सं. 143/2023 मे पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.09.2023 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि आवश्यक जांच एवं अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से निस्तारण करें।

8. निर्णय आज दिनांक 24.01.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर